

डी.जी.ई.टी.-6/ सामान्य/ सम्बंधन समाप्ति/2014-टी.सी.

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,  
नई दिल्ली, दिनांक: 17/04/2014

डी.जी.ई.टी. क्रमांक : 6/24/146/2009-TC

आई.टी.आई. का नाम : Shree Girraj Dharan ITC

ट्रेड/यूनिट सम्बद्धित :

पता :

Khuti Puri Marg, Mursan

1. Fitter – 4(2+2) Units

Distt. Mahamaya Nagar (U.P)

2. Electrician – 4(2+2) Units

विषय :- संस्था की समिति, बिल व शपथ पत्र फर्जी होने के कारण ट्रेड/यूनिट का सम्बंधन समाप्ति हेतु कारण बताओ नोटिस ।


श्रीमान/श्रीमती,

आपका संस्थान राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) से ऊपर वर्णित व्यवसाय में सम्बद्धित है।

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तरप्रदेश के पत्रांक संख्या-2006/टी-3/रा०प०/सं०/306/09, दिनांकित 07-08-2013 के अनुसार यह संज्ञान में आया है कि श्री मिहीलाल सिंह, नि० ग्राम कटैला, जनपद हाथरस ने फर्जी हस्ताक्षरों से दिनांक 29.12.2008 को श्री गिराज धरण सेवा शिक्षा समिति के नाम से प्राधिकारिणी समिति रजिस्टर्ड कराने के बाद फर्जी हस्ताक्षरों से ही दिनांक 02.01.2009 में प्रस्ताव पास कर श्री गिराज धरण औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की है।

इस संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि इसे स्पष्ट करें, कि संबद्धता समाप्ति की प्रक्रिया आपके संस्थान के विरुद्ध क्यों नहीं शुरू की जाए।


आपका स्पष्टीकरण नोटिस मिलने के तीन सप्ताह के अन्दर इस महानिदेशालय को अवश्य प्राप्त हो जाए।


  
(पी.एन. यादव)

संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस, पहले से यदि कोई नोटिस दिया गया हो तो उसे अमान्य नहीं करता है।

प्रतिलिपि : निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग - लखनऊ, उत्तरप्रदेश।



  
(पी.एन. यादव)

संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण

स्पीड पोस्ट

अनुस्मारक

डी.जी.ई.टी.-6/सामान्य/सम्बन्धन समाप्ति/2014-टी.सी.

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,

नई दिल्ली, दिनांक : 4/08/2014

डी.जी.ई.टी. क्रमांक : 6/24/146/2009-TC

आई.टी.आई.कानाम/ Shree Girraj Dharan ITC

ट्रेड/यूनिट सम्बद्धित :

पता : Khuti Puri Marg, Mursan

1. Fitter – 4(2+2) Units

Distt. Mahamaya Nagar (U.P)

2. Electrician – 4(2+2) Units

विषय :- संस्था की समिति, बिल व शपथ पत्र फर्जी होने के कारण ट्रेड/यूनिट का सम्बन्धन समाप्ति हेतु कारण बताओ नोटिस ।

श्रीमान/श्रीमती,

आपका संस्थान राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) से ऊपर वर्णित व्यवसाय में सम्बद्धित है।

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक संख्या-2006/टी-3/रा०प०/सं०/306/09, दिनांकित 07-08-2013 के अनुसार यह संज्ञान में आया है कि श्री मिहीलाल सिंह, नि० ग्राम कटैला, जनपद हाथरस ने फर्जी हस्ताक्षरों से दिनांक 29.12.2008 को श्री गिराज धरण सेवा शिक्षा समिति के नाम से प्राधिकारिणी समिति रजिस्टर्ड कराने के बाद फर्जी हस्ताक्षरों से ही दिनांक 02.01.2009 में प्रस्ताव पास कर श्री गिराज धरण औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की है।

इस संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि इसे स्पष्ट करें, कि संबद्धता समाप्ति की प्रक्रिया आपके संस्थान के विरुद्ध क्यों नहीं शुरू की जाए।

आपका स्पष्टीकरण नोटिस मिलने के तीन सप्ताह के अन्दर इस महानिदेशालय को अवश्य प्राप्त हो जाए।

स्तीव


(एस. सी. शर्मा)

o/c

संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण

नोट:- यह नोटिस, पहले से यदि कोई नोटिस दिया गया हो तो उसे अमान्य नहीं करता है।

✓ प्रतिलिपि : निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग - लखनऊ, उत्तरप्रदेश।



स्तीव

4-8-14

(एस. सी. शर्मा)

संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण